Library
SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE, BHOPAL
S. No. 04 / AUG, 2020

दैनिक जागरण **12/08/2020** **पेज क्रमांक 03**

ाए जा चुके हैं वंदे भारत मिशन के तहत दुनिया भर से। रविवार को 64
ाया एयर इंडिया का विमान मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्या बाई
: जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है।

नई शिक्षा नीति के अमल पर राज्यों से मांगा जाएगा प्लान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई शिक्षा नीति 2020

- राज्यों के साथ शिक्षा मंत्री ने शुरू की चर्चा, मप्र से होगी शुरुआत
- अगले दो महीनों में सभी राज्यों से चर्चा कर तैयार होगा रोडमैप

प्रतीकात्मक

नई शिक्षा नीति के अमल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख के बाद शिक्षा मंत्रालय अब नीति को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पूरी शिद्दत से जुट गया है। राज्यों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। इसे सिर्फ चर्चा तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि सभी राज्यों से इसके अमल का एक प्लान मांगा जाएगा। वैसे भी राज्यों की सक्रिय भागीदारी के बगैर नीति का अमल मुश्किल है।

शिक्षा मंत्रालय ने जो योजना बनाई है, उसके तहत अगले दो महीनों में सभी राज्यों से नीति के अमल को लेकर चर्चा पूरी करनी है। जिन राज्यों के साथ पहले चर्चा की योजना बनाई गई है उनमें भाजपा और राजग शासित सभी राज्य शामिल हैं। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सभी राज्यों से चर्चा और प्लान सामने आ जाने के बाद इसे लेकर एक संयुक्त रणनीति तैयार होगी। जिसके आधार पर ही नीति के अमल की दिशा तय होगी। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को नीति की प्रतियां पहले ही भेजी जा चुकी है।

मंत्रालय ने नीति के उन सभी अहम पहलुओं को अलग से सूचीबद्ध करना भी शुरू कर दिया है, जिन्हें बगैर कानूनी बदलाव किए सिर्फ सामान्य प्रशासनिक आदेशों से ही लागू किया जा सकता है। इनके लागू से होने से सरकार पर कोई खास वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ने वाला है। ऐसे पहलुओं में शिक्षक प्रशिक्षण, आंगनबाड़ी केंद्रों की तब्दीली, पांचवी तक स्थानीय भाषा में पढ़ाने जैसे प्रस्ताव हैं।

सूत्रों के मुताबिक राज्यों को चर्चा के अगले दौर में नीति के इन पहलुओं से अवगत कराया जाएगा। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति के अमल को लेकर मंत्रालय ने जो रोडमैप प्रस्तावित किया है, उसके तहत 2023 तक नीति के ज्यादातर प्रस्तावों को अमल में लाना है। हालांकि नीति में कुछ ऐसे भी लक्ष्य तय किए हैं, जिनके लिए 2035 तक की समयावधि तय की गई है। इनमें उच्च शिक्षा की सकल नामांकन दर (जीईआर) पचास फीसद पर पहुंचाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

आर्किटेक्चर काउंसिल ने सबसे पहले अपनाई शिक्षा नीति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नई शिक्षा नीति और मौजूदा जरूरतों के तहत काउंसिल ने अधिनियम में किया बदलाव
- छात्रों को पढ़ाई बीच में छोड़ने का मिलेगा विकल्प, तीन साल बाद पढ़ाई छोड़ने पर मिलेगी उचित डिग्री

नई शिक्षा नीति आने के बाद उच्च शिक्षा में बदलाव की मुहिम शुरू हो गई है। फिलहाल जो बड़ा बदलाव सामने आया है, वह आर्किटेक्चर काउंसिल ने किया है। जिसने अपने अधिनियम में बदलाव कर आर्किटेक्चर की पढ़ाई और व्यवसाय दोनों को नया स्वरूप दिया है। इसके तहत छात्र अब कोर्स को बीच में भी छोड़ सकेंगे। साथ ही यदि पांच साल के कोर्स में तीन साल की पढ़ाई पूरी कर ली है तो उन्हें एक सम्मानजनक डिग्री भी प्रदान की जाएगी। इससे पहले कोर्स छोड़ने पर भी उन्हें क्रेडिट सिस्टम का फायदा मिलेगा जो दूसरे किसी कोर्स में दाखिला लेने पर उन्हें मिलेगा।

इसी के अनुसार पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। जिसमें मातृभाषा, हरित भवन, आपदा प्रबंधन, कला एवं संस्कृति, भूकंप डिजाइन, कौशल आधारित शिक्षण, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन और विदेशी भाषाओं जैसे विषयों को विस्तृत दायरे में जोड़ा गया है। साथ ही कोर्स के आठवें और नौवें सेमेस्टर से ही छात्रों को प्रयोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। काउंसिल ने न्यूनतम मानक भी तय किए हैं। दावा है कि इस बदलाव से आर्किटेक्चर की पढ़ाई व उससे जुड़े व्यवसाय को मजबूती मिलेगी। वास्तु शिक्षा को लेकर यह अधिनियम 1983 में तैयार किया गया है। मौजूदा समय में डिग्री कोर्स (बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर) पांच साल का होता है। ऐसे में अधिनियम में किए गए बदलावों के तहत इस कोर्स को ज्यादा रोजगार परक बनाया जाएगा। कुछ नए कोर्स भी शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। फिलहाल बदलावों के इन प्रस्तावों को शिक्षा मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। साथ ही प्रकाशन के लिए भेजा गया है।